1

प्रवर्तन निदेशालय

बनाम

अशोक कुमार जैन

एवं

विपरीत क्रम से

8 जनवरी,1998

(एम. के. मुखर्जी, एस. पी. कुर्दुकर और के. टी. थॉमस, जे. जे.,)

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973

''फेरा'' का उल्लंघन - बिगड़ते स्वास्थ्य वाले व्यक्ति द्वारा - अभिरक्षा में पूछताछ, उच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ प्रवर्तन निदेशालय को यह आदेश दिया कि हृदय रोग विशेषज्ञ मंडल का गठन करने के लिए निदेशक, एम्स से संपर्क करना चाहिए और यदि बोर्डको हिरासत में पूछताछ संभव नहीं लगती है, तो निदेशालय को एम्स में डॉक्टरों की देखरेख में ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए- आयोजित - इस तरह की पूछताछ करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीका अनुचित है - इसके अलावा, ऐसे मामले में अधिकारियों को एसे व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की स्वतंत्रता होना चाहिए।

धारा 41 - जब्त किए गए दस्तावेज - प्रतिधारण - समय सीमा - उच्चतम न्यायालय के द्वारा समयावधि का विस्तार, अभियुक्त के परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों के सन्दर्भ में अभियुक्त को बार-बार समन जारी गिए गए लेकिन पेश होने के बजाय उन्होंनं अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रूख किया - जब तक अग्रिम जमानत का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया तब तक दस्तावेजों अवधारण बनाए रखने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों का उपयोग करने में अक्षम हो गया एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ निरर्थक हो गया। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि निदेशालय के अधिकारियों की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित में छह महीने की और अवधि के लिए वैद्यानिक समय सीमा बढ़ाई गई थी - भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद - 142.

धारा 41 - जब्त किए गए दस्तावेज - जिस व्यक्ति के परिसर से दस्तावेज जब्त किए गए थे, उनकी सहमति से समय सीमा बढ़ाने के लिए उन्हें बनाए रखना। प्रश्न खुल छोड़ दिया।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1973(फेरा) तहत प्रवर्तन निदेशालय के्र अधिकारियों ने प्रतिवादी के आवासीय परिसर में छापा मारा और ऐसे कुछ दस्तावेज जब्त किए गए जो बड़े पैमाने पर ''फेरा'' उल्लंघनों का पता लगाने के लिए उपयोगी माना गया। बार-बार सम्मन जारी कर प्रतिवादी को पूछताछ के लिए निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन प्रतिवादी ने पेश होने के बजाय अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रूख किया। अग्रिम

जमानत के लिए दिए गये आवेदन में प्रतिवादी ने उसे जमानत देने के लिए मुख्य आधार के रूप में अपने बिगड़ते स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला। हालांकि, सत्र अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

प्रतिवादी ने उपरोक्त वर्णित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रूख किया।

उच्च न्यायालय ने यह शर्त लगाई कि प्रवर्तन निदेशालय को यह आदेश दिया कि प्रतिवादी की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ की एक कमिटी का गठन करने के लिए एम्स के निदेशक से संपर्क करना चाहिए और यदि बोर्ड को हिरासत में पूछताछ संभव नहीं लगती है, तो अधिकारियों को एम्स में डॉक्टरों की देखरेख में प्रतिवादी से पूछताछ करनी चाहिए। ऐसी शर्तों के साथ उच्चा न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश को संशोधित किया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तें प्रतिधारण की उक्त अवधि दौरान पूछताछ को अप्रभावी एवं निरर्थक कर देगा क्योंकि ''फेरा'' की धारा 41 के तहत जब्त किए गए दस्तावेज की प्रतिधारण की समयावधि का विस्तार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

के. एन. भट्ट, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अरूण जेटली, कपिल सिब्बल, वी. के. वर्मा, राजीव शर्मा, के. ए. दत्ता, आर. के. हांडू, गोपाल जैन, अजय के, यादव, के. वी. मोहन और सुश्री रजनी - उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा दिया गया -

थॉमस, जे. - विशेष अनुमति याचिका मंजूर दिया गया। इन दोनों अपीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक ओदश का खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसने अशोक कुमार जैन नामक एक व्यवसायी (जिसे प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दायर याचिका को सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किये गये आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के तहत प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने प्रतिवादी के आवासीय परिसर में छापा मारा और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए जो बड़े पैमाने पर ''फेरा'' उल्लंघनों का पता लगाने के लिए उपयोगी माना गया। उक्त छापे के बाद कुछ अन्य छापे मारे गए और प्रवर्तन निदेशालय (सुविधा के लिए इसे ''निदेशालय'' के रूप में संदर्भित किया जाता है) ने अब प्रतिवादी के खिलाफ लाखों अमेरिकी डॉलर के कथित (फेरा) उल्लंघनों की जांच शुरू की। प्रतिवादी को पूछताछ के लिए निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। 5.1.1997 को प्रतिवादी ने भारत छोड़ दिया। हालॉकि समन को कई बार दोहराया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने किसी भी सम्मन का जवाब देने के बजाय अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय, दिल्ली का रूख किया। आवेदन में (अग्रिम जमानत के लिए) उन्होने जमानत देने के लिए मुख्य आधार के रूप में अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर प्रकाश डाला। हालॉकि, सत्र न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और ऐसा करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"अग्रिम जमानत निश्चित रूप से उचित और प्रभावी जांच पड़ताल में बाधा डालती है।

इसलिए, गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने के लिए दिए आवदन की निबटारा करने के दौरान अतिरिक्त देखभाल और सावधानी बरतनी होगी। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग के साथ जनता और राज्य का व्यापक हित के साथ मिलान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, तत्काल मामले मंे, यहां बड़ी मात्रा में कीमती विदेशी मुद्रा की गुप्त रूप से हेराफेरी के आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ है। यह आरोप बहुत गंभीर प्रकृति और पुरे राष्ट्र के विरूद्ध है। जांचकर्ता को पूर्ण आजादी होनी चाहिए। इस अभियुक्त को अग्रिम जमानत की मंजूरी निश्चित रूप से होगी उचित जांच मैं बाधा डालेगी। याचिकाकर्ता के पिछले चिकित्सा इतिहास को देखते हुए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता और उस पर ध्यान दिया जाएगा। विभाग द्वारा देखभाल की जाएगी एवं यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में जेल अधिकारियों द्वारा भी उचित देखभाल की जाएगी। इस तरह का आश्वाशन विभाग द्वारा दिए गए हैं।''

प्रतिवादी ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया।

उन्होने अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से प्राप्त चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी से पहले जमानत के आदेश के लिए एक मजबूत दलील पेश की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि चुनौती के तहत आदेश में अपना विचार व्यक्त किया कि निदेशालय प्रतिवादी को गिरफ्तार कर सकता है और हिरासत में पूछताछ कर सकता है, लेकिन एक शर्त पारित की है कि ऐसी गिरफ्तारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के हृदय रोग विशेषज्ञों की राय के अधीन होगी।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले में निदेशालय प्रतिवादी की अभिरक्षा में पूछताछ को आवश्यक मानता है '' तो जाँच के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ मंडल का गठन करने के लिए निदेशक, एम्स से संपर्क करें और यदि उक्त बोर्ड इस राय पर पहुंचता है कि अभिरक्षा में पूछताछ संभव नहीं है'' तो उस स्थिति में अधिकारियों के लिए एम्स में डॉक्टरी की देखरेख में उससे पूछताछ करने का अधिकार होगां ऐसी शर्तों के साथ एकल न्यायाधीश ने सत्र न्यायालय के आदेश को संशोधित किया। निदेशालय ने ऐसी शर्तों से व्यथित होकर यह अपील दायर की है और प्रतिवादी ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने से व्यथ्ति होकर दूसरी अपील दायर की।

यह प्रतिवादी को अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और सत्र न्यायालय के साथ - साथ उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को इस तरह के गिरफ्तारी पूर्व जमानत आदेश देने इनकार कर सही किया है। इसलिए हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निदेशालय पर प्रतिवादी से पूछताछ को शर्तों के साथ संशोधित कर लागू करने में गलती की है।

निदेशालय की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री ज्ञण्छण् ठींजए ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई उपरोक्त शर्तें पूछताछ को अप्रभावी और निष्फल बना देंगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल और श्री अरूण जेटली (जिन्होंने दोनो अपीलों के तहत अलग-अलग प्रतिवादी की ओर से बहस की) ने स्वास्थ्य पर जोर दिया और तर्क दिया कि प्रतिवादी का

तीव्र हृदय की स्थिति से पीडित हैं। एम्स के हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कागजात को दिखाया गया जिसमें प्रत्यार्थी को एस्केमिक हृदय रोग के लिए एक बाईपास सर्जरी और अन्य उपचारात्मक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है।

हमने देखा है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन को खारिज करते हुए प्रतिवादी की उपरोक्त याचिका पर उचित ध्यान दिया है और चिकित्सा रिपोर्टें को देखते हुए प्रतिवादी को चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में आवश्यक टिप्पणियां की है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है, न ही हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी केवल अपनी शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण पूछताछ पर भी गिरफ्तारी से मुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निदेशालय के जांच अधिकारी इस बात को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है कि प्रतिवादी ने नाजुक स्वास्थ्य स्थितियों का मामला सामने रखा है। वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और जब तक वह उनकी हिरासत में हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। लेकिन यह कहना कि पूछताछ एम्स के हृदय रोग विशेषज्ञों की राय के अधीन होनी चाहिए और निदेशालय के अधिकारियों को एक बोर्ड का गठन करने के लिए एम्स के निदेशक से संपर्क करना चाहिए।
हमारी राय मंे (फेरा) के तहत जांच अधिकारियों के कुशल कामकाज को काफी प्रभावित करेंगें। जांच करने के लिए अधिकारियों को ऐसे उपाय करने की स्वावंत्रता दी जानी चाहिए थी जो पूछताछ प्रक्रिया के अधीन आने वाले व्यक्त् िके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हों। उन्हें निर्धारित तौर-तरीकों से लागू नहीं किया जा सकता है।

यह असामान्य नहीं है कि आर्थिक अपरोधों में शामिल व्यक्ति,

विशेष रूप से समृद्ध परिस्थितियों में रहने वाले, हृदय की विभिन्न रोगों से पीड़ित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त उपाय अपनाने चाहिए और अभिरक्षा निरोध की अवधि के दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट को रोकें। जब ऐसे अधिकारी आवश्यक उपाय करने में विफल रहते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

लेकिन हम उस उद्देश्य के लिए अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अग्रिम तौर-तरीकों को निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है। हमारे अनुसार इस तरह के अग्रिम शर्त आर्थिक अपराधों से निपटने के दौरान वैधनिक कार्यों के कुशल जाँच में बाधाएं उत्पन्न करेगा। अतः एकल न्यायाधीश को निदेशालय पर ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने फेरा की धारा 41 के तहत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि फेरा यह प्रावधान करता है कि जब्त किए गए दस्तावेज को केवल छह महीने की अवधि के लिए रखा जा सकता है जब तक कि निदेशालय उक्त अविध को अगले छः महीने के लिए और नहीं बढ़ाता है। अतिरिक्त अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निदेशालय ने पहले ही छह महीने की अवधि बढ़ा दी है और वह विस्तारित अवधि भी 4.1.1998 को समाप्त हो जाएगी। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार ''फेरा'' द्वारा अनुमति अवधि के विस्तार के बावजूद प्रतिवादी की पूछताछ पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी यदि निदेशालय संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के लिए जब्त किए जाए दस्तावेजों का उपयोग करने में असमर्थ होता है क्योंकि प्रतिवादी प्रभावी पूछताछ के लिए उक्त वैद्यानिक रूप से असमित समय

अनुसूचि के दौरान खुद को उपलब्ध नहीं करा रहा है।

प्रतिवादी की ओर से पेश दोनों वरिष्ठ वकीलों द्वारा यह दलील प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी उक्त समय - अनुसूची की समाप्ति पर जब्त किए गए दस्तावेजों को वापस करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन प्रतिवादी से ऐसी रियासत ''फेरा'' की धारा - 41 में निहित वैद्यानिक सीमा के कारण निदेशालय की मदद नहीं कर सकते हैं। चुंकि जब्त किए गए दस्तावेजों की वापसी के लिए निर्धारित अवधि निदेशालय के अधिकारियों की ओर से बिना किसी चूक के समाप्त हो गई होगी, इसलिए हमारी राय है कि प्रतिवादी से पूछताछ के लिए जब्त किए गए दस्तावेजों का उपयोग न करने से सार्वजनिक हित प्रभावित नहंीं होना चाहिए । इसलिए हम उक्त अवधि को 4.1.1998 शुरू करके छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि निदेशालय इसका पालन करेंगें।

इस न्यायालय की अनुमति के अलावा उनके द्वारा विस्तारित समय और आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन हम निदेशालय द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हैं। हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करते हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं।

अपली की अनुमति दी गई।

वी.एस.एस.